प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कौशाम्बी।

सेवा में,

जिला पंचायती राज अधिकारी,
कौशाम्बी।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / एन0टी0सी0पी0 / 2020–2021 / 914(8) दिनांक– 17/07/2020

विषय : कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020–21 / 8461 लखनऊ / दिनांक 23.6.2020 के कम में सूचित किया जाता है कि देश में कोविड–19 वैश्विक महामारी का प्रसार बढ रहा है एवं इस महामारी से सम्पूर्ण विश्व ग्रसित है। इसके संक्रमण के खतरों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र को किये गये अपने संबोधन में व्यक्ति किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित होना चाहिए इसके रोकथाम के लिए समय– समय पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं, जिसमें तंबाकू उत्पादों के प्रयोग बिकी एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकनां पूर्णतया प्रतिबंधित है।

आपको अवगत कराना है कि धूमपान, मसाला, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पाद स्वास्थ को नुकसान पहुंचाने के साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा थूकने प्रेरित करतें है जिससे कोविड–19 का संकमण के फैलने का खतरा बढ़ता है

उक्त कम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासना आदेश 786 / तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 महानिदेशक के पत्र संख्या–राज्य राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2019–20 / 8375 दिनांक 13.04.2020 एवं पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020–21 / 8388 दिनांक 11.05.2020 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों मे तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध करने के निर्देश दिये जां चुके हैं।

अतः कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आपसे अपेक्षा है कि जनपद के समस्त जिला पंचायतों क्षेत्र पचायतो व ग्राम पंचायतों की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के उपयोग तथा पान मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्धित कोटपा अधिनियम 2003 के अर्न्तगत जुर्माना वसूल करने के आवश्यक आदेश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

ACMO

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कौशाम्बी।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / एन0टी0सी0पी0 / 2020–2021 / तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिलाधिकारी महोदय कौशाम्बी।
6. पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
7. मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कौशाम्बी।